

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग शिविर 2021)

बइजलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

शिविर का स्थान - जेला दिनांक : 25.10.2021

प्रकरण संख्या - राजस्व वाद / 134 / 2016

उनवान प्रकरण

करगारिह ० अजुगारिह	ब	धापूबाडी पाले भोगीलाळ
जाहि राजपत नि: दकोडी	ना	दांगी वि. सिलोरी
	म	राज-सरकार जडे लहरीलदार पिडावा

दावा धारा 53, 209

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में दावा फाईनल डिक्री कर लहरीलदार पिडावा को जोडियत किया जाता है कि गांव दकोडी की आराजी रु. नं. 610/449 संख्या 3.1995 हेक्टर भूमि का संलग्न बेटदार प्रत्येक व नकशा देल अनुपाल परकारान के खाते पृथक-पृथक दर्ज करे। बेंक रहत भयावत दर्ज रहेसा।

निज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.10.21 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज.)

पिडावा जिला झालावाड
प्रशासन गांव के संग 2021

रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान		मीजान		



डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास - श्री रणजीतसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 134 / 2016 / राजस्व वाद

उनवान

1. करणसिंह पि. अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. छोडी तहसील पिडावा
- वादी

बनाम

1. धापूबाई पत्नि मांगीलाल जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादी - श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील प्रतिवादी - श्री सुभाष दांगी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजिरी वकील वादी
मिनजामिन मुददई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री
दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पिडावा को
आदेशित किया जाता है कि ग्राम छोडी की जमाबंदी सं. 2069-72 के खाता स.
70 की आराजी ख.नं. 610/449 रकबा 12 बीघा 13 बिरवा भूमि में वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 के हक , हिस्सा एवं कब्जा अनुसार पक्षकारान के आने जाने के
रास्ते को ध्यान में रखते हुए रास्ते के प्रावधन के साथ उभयपक्ष की उपस्थिति
में भूमि का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में दिनांक. 25.9.19
से पूर्व इस न्यायालय में भिजवायें।



निज गुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह
..... सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.8.19 को
जारी की गई।

Jr
(रणजीतसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		